न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

नं. मु. 90/2025

दायरा दिनांक:–

1. मालाराम पुत्र देवाराम जाति जांगिड़ आयु 60 वर्ष निवासी लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र भंवरीदेवी पुत्री दुली पुत्री देवाराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी तेरापंथ भवन के पास, गंगाशहर, बीकानेर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
2. पपुराम पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
3. बजरंगलाल पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
4. समदर पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
5. जगदीश प्रसाद पुत्र जैनाराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
6. नानुराम पुत्र जैनाराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
7. कालुराम पुत्र रामूराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
8. छोटूराम पुत्र रामूराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
9. रेवंतराम पुत्र रामूराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
10. शंकरलाल पुत्र रामूराम जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
11. नेताराम पुत्र मांगीलाल जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
12. राजूराम पुत्र मांगीलाल जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
13. शिवप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
14. सहीराम पुत्र मांगीलाल जाति जांगिड़ आयु (बालिग) निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

गौण प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

लगातार 2 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

राजस्व वाद घोषणात्मक, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88,53,209,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री ज्ञानाराम एडवोकेट – वकील वादी

2. श्री मोहित कुमार जाट एडवोकेट – वकील गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 14

3. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 7-5-26

प्रस्तुत वाद के संक्षेप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि :– वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक तथा गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ता 14 चौदह के संयुक्त हक हिस्सा खातेदारी के खेत खसरा संख्या 767 सात सौ सडसठ तादादी 8.3719 हैक्टेयर आठ दसमलव तीन सात एक नौ हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। खातेदार भंवरी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। परन्तु उसका विरास्तन नामांतरण अभी तक दर्ज नही हुआ है। भंवरी देवी के जायज वारिसान मे प्रतिवादी संख्या 1 एक ही वारिस है। जो भंवरी देवी की हिस्सा भूमि का हकदार है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 एक को भंवरी देवी के स्थान पर पक्षकार बनाकर प्रतिवादी संख्या 1 की श्रेणी मे संयोजित किया गया है। तथा खातेदार बाली देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरास्तन नामांतरण अभी दर्ज नही हुआ है। बाली देवी के जायज वारिसान मे गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार है। इसलिये गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ता 4 चार अपनी हिस्सा भूमि के साथ बालीदेवी की हिस्सा भूमि के भी हकदार है। इसलिये बालीदेवी के स्थान पर गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार को पक्षकार संयोजित किंया गया है। वादी एवं गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चौदह एक ही कुटुम्ब के सदस्य है तथा एक ही गांव मे रहते है इसलिये वादगत खेत की भूमि पर आज तक संयुक्त ही कब्जा काश्त करते आ रहे है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक जो गांव लुहारा मे नही रहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता भंवरी देवी पुत्री दुली पुत्री देवाराम ने उपरोक्त खाता मे अपनी हिस्सा भूमि को कभी भी काश्त नही किया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक तथा गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ता 14 चौदह के उपरोक्त वादगत खेत संयुक्त खातेदारी का होने से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने व ऋण आदि प्राप्त करने में समस्या हो रही है तथा वादी को कई प्रकार की कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है आदि आदि प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा व विभाजन का निवेदन किया।

लगातार 3 पर ....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण और गौण प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 की ओर से श्री मोहित कुमार जाट एडवोकेट ने उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल है। राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार राज ने अपने जबाब मे राजहित नही होना अंकित किया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उक्त राजीनामा मे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है कि वादगत खाता मे खातेदार उसकी माता भंवरी देवी पुत्री दुली पुत्री देवाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा वह उसका एक मात्र वारिस है। भंवरीदेवी की हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त कभी नही रहा है तथा उक्त भूमि पर कब्जा वादी का ही रहा है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 की नानी स्व. दुली का वादी सगा भाई है तथा अपने रिश्तो को मधुर बनाये रखने के लिये वादगत 1/64 हिस्सा भूमि वादी के नाम करवाना चाहता है। जिसमे वादी ने भी अपनी सहमति दी है तथा राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया व बहस का मनन किया। मुताबिक राजीनामा रोही ग्राम ढाणी भोमपुरा के खसरा संख्या 767 तादादी 8.3719 हैक्टेयर मे भंवरीदेवी के नाम 1/64 हिस्सा भूमि वादी मालाराम के नाम दर्ज किया जाना उचित है तथा खातेदार बालीदेवी के नाम की 9/80 हिस्सा भूमि उनके वारिसान गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम किया जाना उचित है तथा वाद वादी अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद राजीनामा के आधार पर इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम ढाणी भोमपुरा के खसरा संख्या 767 तादादी 8.3719 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 की माता स्व. भंवरीदेवी के नाम की 1/64 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता बालीदेवी के नाम की 9/80 हिस्सा भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किया जावे। निर्णय आज दिनांक 7/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर